न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
17/2020	2020/00040	23.11.2020	24.02.2021

श्री नानुलाल पिता लक्ष्मण मीणा निवासी बानघाटी ग्राम पंचायत जामली तहसील पीपलखूंट

– अपीलार्थी

–: बनाम :–

श्री सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ – रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1976 के तहत्

उपस्थिति :–
1. श्री राकेश कुमावत अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार

–: आदेश :– दिनांक :– 24.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोविड–19 के कारण घोषित लोकडाउन की अवधि में अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत हुई कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 27.03.2020 से लेकर 31.03.2020 को उपभोक्ताओं से बिना ओटीपी प्राप्त किये उपभोक्ताओं के 516 राशन कार्ड पर 117.07 क्वींटल गेहुं का वितरण पॉज मशीन में दर्शाया गया है।

उक्त राशन कार्डधारी श्री सोहनलाल एवं श्री रकमेश्वर ग्राम पंचायत पृथ्वीपुरा, श्री नारायणलाल ग्राम पंचायत जामली क्षैत्र के थे, जब राशन कार्डधारी गेहुँ प्राप्त करने उचित मुल्य दुकानदारों के पास पहुँचे तो उनका गेहुँ अपीलान्ट की पॉज मशीन से वितरित होना पाया गाया। इस सम्बन्ध में उचित मुल्य दुकानदारों, ग्राम पंचायत जामली के सरपंच, उपसरपंच, वार्डपंचो द्वारा जिला रसद अधिकारी कार्यालय में भी शिकायत की गई।

प्रकरण की जॉच श्री रामचन्द्र शेरावत प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री मनोज कुमार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जिसमें अपीलान्ट को उसकी अनियमितताएँ तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 व 17 ग का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है, जिस पर दिनांक 03/04/2020 को पार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

दिया तथा दिनांक 23/09/2020 को प्रार्थी को जारी प्राधिकार पत्र प्रतिभूति राशि जप्त करते हुवें निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की अपील निम्न आधारो पर पेश है :–

1. यह की प्रार्थी/अपीलान्ट जो कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था उसकी चरण सं. 3 में उपभोक्ता कमजी का 25 किलो गेहुँ का लिया जाना बताया था लेकिन उपभोक्ता कमली स्वयं एक शपथ पत्र लिखकर देता है कि उसको गेहुँ प्राप्त हो गया था लेकिन मात्र लोगों के बहकावें में आकर उसने अपीलान्ट के विरूद्ध झुंठी शिकायत की थी व शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किये थे जबकि अपीलान्ट द्वारा समय–समय पर गॉव वासियों को राशन वितरण किया जाता है।
2. यह कि ग्राम पंचायत जामली के सरपंच, उपसरपंच तथा वार्डपंच द्वारा भी श्रीमान जिला रसद अधिकारी के यहां पर प्रार्थी/अपीलान्ट की शिकायत की गई थी जिसको माननीय जिला रसद अधिकारी द्वारा सही मानकर प्रार्थी का लाईसेंस निरस्त किया गया था। जबकि ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी के नाम से पेश किया गया है कि प्रार्थी एवं जिन लोगों के द्वारा उसकी शिकायत की गई है उनके बीच पारम्परिक एवं आपसी विवाद चल रहे हैं। इस प्रकार केवल मात्र राजनैतिक द्वैषता के कारण लोगों के द्वारा झुंठी शिकायतें की गई है।
3. यह की प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा जिन व्यक्तियों का गेंहुँ एवं शक्कर का फर्जी रूप से निकालने का आरोप है, उक्त सभी उपभोक्ता उस वक्त सम्पुर्ण राजस्थान में लोकडाउन होने के कारण राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी कि जिलें में किसी भी उचित मुन्य दुकान से उपभोक्ता अपना राशन प्राप्त कर सकते है यदि वह मजदुरी या अन्य किसी कारण से अपने राशन दुकानदार के क्षैत्र में निवास नहीं करते है तो इसी कारण से प्रार्थी/अपीलान्ट ने उक्त सभी उपभोक्ताओं के लोकडाउन अपनी दुकान के आसपास होने के कारण उन्हें अपनी दुकान से राशन दिया था लेकिन कुछ लोगों के आपसी द्वैषता के कारण प्रार्थी की झुंठी शिकायतें करवाई।
4. यह कि जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 03/04/2020 को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसमें केवल राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 की शर्त संख्या 11 का उल्लंघन होना पाया गया था। तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा पुनः एक कारण बताओं नोटिस दिनांक 26/08/2020 को पुनः अपीलान्ट को जारी हुआ था जिसमें धारा 11 व 17 ग का उल्लंघन पाया गया लेकिन अपीलान्ट द्वारा कोई भी धाराओं का उल्लंघन नहीं किया गया उसने मात्र सम्पुर्ण भारत में सम्पुर्ण लोकडाउन हो जाने से जो व्यक्ति जहा था वही रह जाने के कारण अपनी मानवता के खातिर अपने उचित मुल्य दुकानदार के क्षैत्राधिकार से परे जाकर बाहरी लोगों को गेहुँ व चीनी वितरित की थी।
5. यह कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा लिये गये बयानों में अधिकांश व्यक्तियों के शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर ही नहीं है, इससे यह भी यह साबित होता है कि अपीलान्ट के विरूद्ध चुनिन्दा व्यक्तियों द्वारा राजनैतिक दैषता के कारण झुंठी शिकायतें की गई हैं।
6. यह की प्रवर्तक निरीक्षक की रिपोर्ट एवं गवाहों के बयानों में भी काफी विरोधाभाष है जिससे यह भी राजनैतिक द्वैष का पता चलता है।
7. यह की अपीलान्ट ने राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) की शर्त संख्या 11 व 17 ग का उन्नंघन नहीं किया है।
8. यह कि अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की होकर उचित न्याय शुल्क पर पेश है।
9. यह कि अपील के साथ आदेश की प्रति एवं कमजी का असल शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज पेश है।
10. यह कि अपील अन्दर मियाद अवधि पेश है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी से जारी विवादित (निलम्बन) आदेश क्रमांक :– रसद/अभियोजन/2020–21/34–39/ दिनांक 03.04.2020 एवं अपीलार्थी का (प्राधिकार पत्र एवं प्रतिभूति) निरस्ती आदेश क्रमांक :– रसद/अभियोजन/2020–21/2288–94/ दिनांक 23.09.2020 को अपास्त फरमा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र एवं प्रतिभूति राशि सहित बहाल किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्ट्रर कि जाकर प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गए तथा अधिनस्थ से प्रकरण से संदर्भित पत्रावली तलब की गई जिसकी बाद तामिल रिपोर्ट प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार (रसद) स्वयं प्रकरण से संदर्भित पत्रावली सहित उपस्थित हुए प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष सूनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये गए कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत राजनैतिक द्वेश्ता पूर्वक की गई शिकायत आधार पर रसद विभाग के दल द्वारा की गई निरीक्षण जांच एवं पारीत विवादित आदेश अपास्त योग्य हैं। जबकि अपीलार्थी द्वारा कोविड लौकडाउन काल में दिनांक 27.03.2020 से 31.03.2020 के दौरान विभागीय आदेश दिनांक 18.03.2020 की अनुसरण में उचित लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुसार ही राशन का वितरण किया जा रहा था तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी पर लगाया गया आरोप की उसके द्वारा 516 राशनकार्ड पर 117.07 क्विंटल गेंहु एवं 67 किग्रा चीनी का अनियमितता पूर्वक वितरण या गबन किया गया है।

इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिए कारण बताओं नोटिस क्रमांक :– अभियोजन/2020–21/40 दिनांक 03.04.2020 एवं कारण बताओं नोटिस क्रमांक :– अभियोजन/2020–21/1422 दिनांक 26.08.2020 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा विधिवत जरिये पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 31.08.2020 को शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी श्री कमजी पुत्र अमराजी के शपथ पत्र इत्यादि के साथ युक्ति–युक्त जवाब भी प्रस्तुत किया गया था किन्तु प्रत्यार्थी रसद विभाग द्वारा उक्त जवाब से असंतुष्ट रहते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध विवादित आदेश पारित किये गये जो अपास्त योग्य है।

इसी प्रक्रम में उपस्थित पैरोकार सरकार (रसद) द्वारा अपील में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुए तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी आदेश अन्तर्गत प्रकरण संख्या 307/2020 दिनांक 23.09.2020 में उल्लेखित बिन्दुओं का हवाला देते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा कोविड़–19 महामारी लॉक डाउन के दौरान जारी विभागीय शिथिलन आदेश दिनांक 18.03.2020 का दुरूपयोग करते हुए प्रकरण में वर्णित शिकायतकर्ता लाभार्थी राशनकार्डधारी श्री सोहनलाल एवं श्री रकमेश्वर ग्राम पंचायत पृथवीपुरा एवं श्री नारायण लाल ग्राम पंचाययत जामली क्षेत्र के लाभार्थीयों व अन्य कुल 516 राशनकार्ड पर उपभोक्ताओं से बिना OTP प्राप्त किये ही 117.07 क्विंटल गेहुँ का उठाव होना दर्शाया गया।

जबकि उक्त व्यक्तियों में से लाभार्थी राशनकार्डधारी श्री सोहनलाल एवं श्री रकमेश्वर ग्राम पंचायत पृथवीपुरा एवं श्री नारायण लाल ग्राम पंचाययत जामली क्षेत्र द्वारा अपने हक हिस्से का गेहुँ लेने पहुँचे किन्तु उन्हें उक्त गेहुँ नहीं मिलने की जानकारी पर सरपंच एवं उपसरपंच एवं वार्ड पंच ग्राम पंचायत जामली द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शिकायत की जांच श्री रामचन्द्र शेरावत (प्रवर्तन अधिकारी रसद) एवं श्री मनोज कुमार (प्रवर्तन निरीक्षक रसद) प्रतापगढ़ द्वारा किये जाने पर संज्ञान में आया कि अपीलार्थी उचित मुल्य दुकानदार जामली द्वितीय (FPS Code 15190) की पॉस मशीन से वितरीत होना पाया किन्तु उक्त शिकायतकर्ताओं से संबंधित उचित मुल्य दुकानदारों ग्राम पृथवीपुरा के ग्राम बडलीखेड़ा एवं जामली ग्राम पंचायत की पॉस मशीन से शिकायतकर्ताओं को वितरण नहीं होना पाया गया।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि में विभागीय आदेश का दुरूपयोग करते हुए अपीलार्थी द्वारा पॉस मशीन का गलत तरीके से दुरूपयोग करते हुए राजकीय गेहुँ की कालाबाजारी किया जाना पाया गया। उचित मूल्य दुकानदार का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनिमयन आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 व 17 ग का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए उक्त आदेश के खण्ड 8 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी श्री नानुराम उचित मूल्य दुकानदार (FPS code 15190) ग्राम पंचायत जामली –II को जारी प्राधिकार पत्र प्रतिभूति राशि जप्त करते हुए निरस्त किया जाना उचित रहा है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिसमें मुख्य रूप से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील मेमों दिनांक 22.10.2020 एवं विवादित आदेश दिनांक 03.04.2020 एवं 23.09.2020 कारण बताओं नोटिस दिनांक 03.04.2020 व 26.08.2020 एवं पत्रावली पर उपलब्ध जवाब अपीलार्थी दिनांक 31.08.2020 तथा जिला रसद अधिकारी कार्यालय हाजा स्तर पर निष्पादित पत्रावली प्रकरण संख्या 307/2020 निर्णय दिनांक 23.09.2020 के साथ साथ पत्रावली पर लागु प्रचलित समस्त नियमों अधिनियमों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में ज्ञात आयाकि अपीलार्थी श्री नानुराम उचित मूल्य दुकानदार (FPS code 15190) ग्राम पंचायत जामली –II द्वारा कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान दिनांक 27.03.2020 से 31.03.2020 के मध्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित लाभार्थियों हेतु उपलब्ध राजकीय खाद्य सूरक्षा योजना के तहत् प्राप्त गेहुँ सामग्री को राजकीय आदेश दिनांक 18.03.2020 के तहत् विहित प्रावधानों की पालना के विपरित गलत तरीके से उक्त क्षेत्र के 516 राशन कार्डधारियों के बिना OTP प्राप्त किए अथवा उक्त OTP प्राप्त नहीं होने के संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 18.03.2020 की शर्त संख्या 3 (i) से (iii) को अमल में लाए बिना किसी प्रकार की पंजीका का संधारण करते हुए वितरण प्रणाली अपनाई जाकर गबन किया जाना प्रमाणित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में रसद विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एवं अपराधिक प्रकरण भी जरिये प्राथमिकी संख्या 0024/2020 पुलिस थाना घण्टाली में दर्ज कराई गई थी जिस अन्तर्गत भी अपीलार्थी के विरूद्ध चालान पेश किया गया है। जिससे अपीलार्थी के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही संपुष्ट एवं प्रमाणित होना जाहिर होता है।

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाकर जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.04.2020 एवं 23.09.2020 को यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा सरेइजलास सुनाया जाकर लेखबद्ध कराया गया।

(अनुपम जारवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner